Annexure . 22

351

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2007/चैत्र 21, 1929
No. 393] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2007/CHAITRA 21, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

का.आ. 563(अ).—यत: मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में शोलिंगनल्लूर, ताम्बरम तालुक, कांचीपुरम जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम; 2005 (2005 का 28), जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत: केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने तमिलनाडु राज्य के शोलिंगनल्लूर, ताम्बरम तालुक कांचीपुरम जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 30 मई, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य के शोलिंगनल्लूर, ताम्बरम तालुक, कांचीपुरम जिले में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :

तालिका

गांव का नाम	सर्वेक्षण क्षेत्र सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
शोलिंगनल्लूर	602/3	152.66.5

[फा. सं. एफ. 2/4/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2007

S.O. 563(E).—Whereas M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as the Act, to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Sholinganallur, Tambaram Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Sholinganallur, Tambaram Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu on 30th May, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Sholinganallur, Tambaram Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Name of Village	Survey Field Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)
Sholinganallur	602/3	152.66.5

[F. No. F. 2/4/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262848
CG-DL-E-02052025-262848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947
No. 1941] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISHAKHA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2025

का.आ. 1985(अ).—यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य में शोलिंगनल्लूर, शोलिंगनल्लूर तालुक, चेन्नई जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 563(अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 152.665 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 13.297 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

Scanned with OKEN Scanner

और, यतः तमिलनाडु राज्य सरकार ने उनके पत्र सं. 8795068/एमआईबी.1/2024-1 दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 के प्रत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित अनधिसूचित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार को वापस करने की आवश्यकता है;

और यतः विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 13.297 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है।

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 13.297 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 139.300 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	602/3ए	14.96
2.	602/3बी	1.47
3.	602/3सी	1.43
4.	602/3डी	15
कुल		13.297
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		139.300

[फा. सं. एफ.2/4/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2025

S.O. 1985(E).—Whereas, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Sholinganallur, Sholinganallur Taluk, Chennai District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 152.665 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 563(E) dated 11th April, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 13.297 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No.8795068/MIB.1/2024-1 dated 5th December, 2024. Further, the land proposed for partial de-notification is needed back to Government of Tamil Nadu for Public purpose;

Scanned with OKEN Scanner

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 13.297 hectares of the Special Economic Zone.

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies **an area of 13.297 hectares**, thereby making resultant area as **139.300 hectares.** The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Survey No.	Area in hectares
1.	602/3A	14.96
2.	602/3B	1.47
3.	602/3C	1.43
4.	602/3D	15
Total		**13.297**
Grand total area of SEZ after above de-notification		**139.300**

[F. No. F.2/4/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

Scanned with OKEN Scanner